बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–II)– 23

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,

सारण।

पटना, दिनांक–12/03/26

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, सारण के संधारणार्थ वेतनादि मद में कुल राशि रू० 5,82,000/– (रू० पाँच लाख बेरासी हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, सारण के संधारणार्थ वेतनादि मद यथा वेतन एवं चिकित्सा भत्ता में क्रमशः रू० रू० 5,50,000/– एवं रू० 32,000/– अर्थात कुल राशि रू० 5,82,000/– (रू० पाँच लाख बेरासी हजार) मात्र आवंटित की जाती है।

2–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0010–पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 01.01–वेतन एवं 01.06–चिकित्सा भत्ता इकाई में विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–277–0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सारण होंगे।

4–आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6–प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7–इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दिया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

12/3/26

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment

ज्ञापांक– पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–II)– 23 पटना, दिनांक–12/03/2026.

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/ संबंधित उप विकास आयुक्त/प्रमण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, सारण प्रमण्डल, सारण/अनुमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सारण/ प्रधानाचार्य, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, सारण को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/3/26

सरकार के अपर सचिव